



भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. HKM/1/2018/MHRD2/SEOTH/RU-III

दिनांक: 04-09-2018

सिटिंग नोटिस

विषय: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद(एन.सी.ई.आर.टी.) में स्टेनोग्राफर ग्रेड - 1/ वैयक्तिक सहायक (पी. ए.) के पद पर संविधान के अनुसार जनजाति वर्ग को पर्याप्त और निर्धारित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के संबंध में श्री हरीश कुमार मीना, एन.सी.ई.आर.टी.एसटी कर्मचारी कल्याण संघ,का दिनांक 25/06/2018 अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग के नोटिस समसंख्यक दिनांक 06/07/2018 का संदर्भ ग्रहण करें।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. श्री नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक 13-09-2018 को 12.00 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(आर. को. दुबे )  
सहायक निदेशक  
दूरभाष-24615012

सेवा में,

1. सचिव,  
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,  
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001

2. निदेशक,  
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,  
श्री अरविन्द मार्ग नई दिल्ली - 110016

प्रतिलिपि:

श्री हरीश कुमार मीना,  
अध्यक्ष एन.सी.ई.आर.टी., एसटी कर्मचारी कल्याण संघ,  
कमरा सं. 12-सी. तृतीय तल, जानकी अंमाल खड,  
डीईएसएस, एन सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली - 110016

7460-62  
4/9/18

ISSUED